राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–846/2011/जयपुर

मैसर्स महावीर केमिकल इण्डस्ट्रीज,
जी–680, रोड नं0 9, एफ–2 वी.के.आई. एरिया जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

1. उपायुक्त अपील्स तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय वृत–ई, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रमेश चन्द गुप्ता, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद, राजकीय उप अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :– 20.03.2017

निर्णय

1. यह अपील व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त अपील्स, तृतीय वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 94/अपील्स–चतुर्थ/10–11/ई पारित अपीलीय आदेश दिनांक 02.02.2011 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–तृतीय, वृत–ई, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) के राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29(4) के तहत पारित आदेश दिनांक 07.11.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 के तहत लाभ प्राप्त इकाई है। किन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध करापवंचन का प्रकरण दर्ज होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को उक्त योजना से बाहर करते हुए आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 07.11.2005 को पारित करते हुए कर व ब्याज की मांग कायम की गई है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 02.02.2011 द्वारा आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3 अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी प्रोत्साहन योजना, 1987 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त ईकाई है कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रोत्साहन योजना, 1987 के अन्तर्गत की गई बिक्री पर आरोपित किया गया कर एवं ब्याज का आरोपण अविधिक है। उनका अग्रिम तर्क था कि अपीलार्थी के विरूद्ध करापवंचन का अभियोग होने के कारण आयुक्त द्वारा प्रोत्साहन प्रमाण पत्र को भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है उन्होंने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अंस्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आलौच्य अवधि में जो करारोपण किया गया है वह प्रोत्साहन योजना के तहत जारी प्रमाण पत्र के निरस्त होने के फलस्वरूप किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कोई भी विवाद कर निर्धारण आदेश में किसी भी प्रकार के अविधिक करारोपण के विरूद्ध नहीं किया गया है। अपीलार्थी के आलौच्य अवधि में प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने कर व ब्याज आरोपित किया है जो विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने भी आलौच्य अवधि में अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित कर व ब्याज को यथावत रखने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

6. फलतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2011 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष